UPME010089922026

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधि०),
कोर्ट संख्या 03_मेरठ।
पीठासीन अधिकारी –यशपाल सिंह लोधी (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जे०ओ० कोड यूपी 1673
प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–2537/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन सं०–3141/2026

सोहिल खान पुत्र निजानुद्दीन उर्फ निजाम बनाम सरकार

मु०अ०सं० 165/2026,
अन्तर्गत धारा 352, 115(2), 351(2), 74 बी०एन०एस०
व धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम
व धारा 66 ई आई०टी०एक्ट
थाना –परतापुर, जिला मेरठ।

वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री ललित कुमार
विद्वान विशेष लोक अभियोजक– श्री आकाश अग्रवाल
अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता– श्री मोहिन खान

दिनांक–07.07.2026

01. अभियुक्त सोहिल खान पुत्र निजामुद्दीन उर्फ निजाम की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मु०अ०सं०–165/2026, अन्तर्गत धारा 352, 115(2), 351(2), 74 बी०एन०एस० व धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम व धारा 66 ई आई०टी०एक्ट, थाना–परतापुर, जिला मेरठ के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02. अभियोजन मामला इस प्रकार है कि प्रार्थिनी की पुत्री पीड़िता उम्र 14 वर्ष जो कि कक्षा 8 की छात्रा है। उसकी पुत्री को Social Media से एक लड़का कई दिनों से परेशान कर रहा है, जिस कारण उसकी लड़की बहुत परेशान हो रही थी और अश्लील कमेंट भी कर रहा था। दिनांक 21.03.2026 को सोहिल खान ने धमकी दी कि उससे परतापुर बाईपास पर मिलने आओ नहीं तो उसको बदनाम कर देगा। उसकी लड़की परेशान होकर परतापुर बाईपास पर पहुंची। वह भी उसके साथ गयी उनको देखकर आग बबूला हो गया और उन्हें गाली देने लगा और जान से मारने की धमकी दी कि जब उसने ऐसा करने से मना किया तो सोहेल ने उसके साथ हाथापाई की और पीड़िता के साथ अश्लीलता करते हुए छेड़छाड़ की इस दौरान वहां पर काफी लोग इकट्ठा हो गये। विवाद के दौरान पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि उसने आपकी और आपकी लड़की की अश्लील फोटो मोबाइल में तैयार की है, जिसको वह वायरल कर देगा।

03. अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमें में एकदम झूंठा व फर्जी फंसाया गया है तथा प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त का उपरोक्त केस के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है न ही किसी केस में सजायाफ्ता है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना से संबंधित जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त की किसी भी पजेसन से कोई वीडियो रिकवर नहीं हुई है और न ही प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई भी फोटो एडित या वायरल की गयी है। उपरोक्त केस में घटना की कोई भी तारीख अंकित नहीं की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त विशेष वर्ग से संबंध रखता है इसलिए पुलिस द्वारा अपनी गुडवर्क पाने के लिए रंजिशन प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा व फर्जी फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त मामले से संबंधित कोई रिपोर्ट या स्वतंत्र साक्ष्य मौजूद नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त केस में दिनांक 22.03.2026 से न्यायिक हिरासत में है। उपरोक्त केस में जिस तरह से घटना बतायी गयी है उस तरह से घटना घटित संभव नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त एक सम्मानित परिवार का गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अलावा जमानत प्रार्थनापत्र अन्य किसी सेशन न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन अथवा खारिज नहीं हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त को यद माननीय न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की जाती है तो वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा न ही माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से फरार होगा तथा न ही अभियोजन साक्षियों को किसी प्रकार से प्रभावित करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित एवं सक्षम जामिनान देने के लिए तैयार है। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

04. वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ललित कुमार, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहिन खान एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री आकाश अग्रवाल के तर्कों को सुना एवं जमानत संबंधी प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

05. अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा की नाबालिग पुत्री पीड़िता उम्र लगभग 14 वर्ष की लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए लैंगिक हमला कारित करना तथा उसे साशय अपमानित करते हुए आपराधिक अभित्रास कारित करने का आक्षेप है। प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त नामजद अभियुक्त है। पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है तथा बयान

अन्तर्गत धारा 183 बी०एन०एस०एस० में कथन किया कि "सोहिल मुझे इंस्टाग्राम पर मिला था। हमारी फ्रैंडली बात होती थी। मैंने जो इंस्टाग्राम पर फोटो डाली थी, उसे एडिट करके सोहिल मुझे ब्लैकमेल करता था। फिर मुझे दिनांक 21.03.2026 को सोहिल ने मिलने बुलाया। मैं अपनी फैमली/मामा के साथ गई फिर मुझे छेड़छाड़ करने लगा। फिर हमने पुलिस कम्प्लेंट की और हमारी हाथापाई मारपीट हुई।" इसके अतिरिक्त दौरान विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त सोहिल के फोन से बरामद वादिया व वादिया की बहन के अश्लील एडिट फोटो जो पत्रावली पर संलग्न है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट, पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 व 183 बी०एन०एस०एस० एवं केस डायरी पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन होता है। इसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद इण्टर कालेज, रिझानी, मेरठ द्वारा जारी पीड़िता की आयु से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न है जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 01.12.2011 अंकित है, जिससे घटना की तिथि पर पीड़िता की आयु लगभग 14 वर्ष 02 माह आती है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यंत गम्भीर प्रकृति का व नाबालिग के विरुद्ध है। अतः उपरोक्त प्रकृति के अपराध एवं उसमें अभियुक्त की दर्शित होने वाली भूमिका को दृष्टिगोचर रखते हुए तथा मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त सोहिल खान पुत्र निजानुद्दीन उर्फ निजाम का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र 2537/2026 मु०अ०सं०–165/2026, अन्तर्गत धारा 352, 115(2), 351(2), 74 बी०एन०एस० व धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम व धारा 66 ई आई०टी०एक्ट थाना – परतापुर, जिला मेरठ निरस्त किया जाता है।

<u>दिनांक : 07.07.2026</u>

(यशपाल सिंह लोधी)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(पॉक्सो अधि०), कोर्ट संख्या –03 मेरठ।
जे०ओ० कोड यूपी 1673